छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2010
(अग्रहायण-18, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश में लगातार बारिश होने से धान की फसल खराब होने, नकली खाद, नकली दवाई एवं अनुपूरक अनुमान में किसानों को नजरअंदाज किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई एवं पर्चे लहराए गए। माननीय अध्यक्ष ने पुनः प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग का अनुरोध किया।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी किए जाने के कारण सदन की कार्यवाही 11.09 बजे स्थगित की जाकर 11.23 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य एवं श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा पुष्प स्टील के साथ किए गये अनुबंध का का जिक्र करते हुए शासन से उत्तर की मांग की गई। माननीय उपाध्यक्ष ने प्रतिपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने में सहयोग का आग्रह किया।

संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसंदी का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है और सरकार सभी विषयों का जवाब देने के लिए तैयार है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए पर्चे लहराए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 03 पर प्रश्न पूछा गया। प्रश्नसंख्या 02 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी ने उपस्थित रह कर भी प्रश्न नहीं किया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई। अत्यधिक नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 11.37 बजे से 12.00 बजे तक स्थगित की गई। 12.03 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही पक्ष-प्रतिपक्ष द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2009-2010,

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-10/38/2009/वाक/पांच (59), दिनांक 19 जुलाई, 2010,

पटल पर रखे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अग्नि चंद्राकर, अजीत प्रमोद कुमार जोगी (उपस्थित रह कर भी सूचना नहीं पढ़ी गई)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मण्डी समितियों को मण्डी शुल्क व निराश्रित शुल्क का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री भोलाराम साहू

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी

(4) श्री दूजराम बौद्ध

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार हैः-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की हैः-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 01)	श्री सौरभ सिंह	2 घंटा 30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने लोक लेखा समिति का इकसठवां, बांसठवां, तिरसठवां, चौंसठवां एवं पैंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी

(2) श्री देवजी पटेल

(3) श्री जगेश्वर राम भगत

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25, सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26, सन् 2010)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26, सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27, सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28, सन् 2010)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

8. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्रीमती सुमित्रा मारकोले, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री देवजी पटेल, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि हेतु निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।

10. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 12.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा